2028 में और ज्यादा सीटें जीतेंगे

प्रशिक्षण महाअभियान-2026 के तहत समीक्षा बैठक को सीएम डॉ. मोहन यादव ने किया संबोधित

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 16 जून. प्रदेश में मौजूदा भाजपा सरकार का लगभग आधा कार्यालय बीतने के बाद अब अगले विधानसभा चुनाव के लिए बिसात बिछाने का सिलसिला शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दावा किया है कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को ऐतिहासिक जनादेश दिया था. अब हमारा लक्ष्य वर्ष 2028 में उससे भी बड़ी विजय प्राप्त करना है.

भाजपा कार्यकर्ताओं की ऊर्जा, संगठन की मजबूती और जनता के विश्वास के बल पर आगामी विधानसभा चुनाव में वर्ष 2023 से भी अधिक सीटें जीतकर नया इतिहास रचेगी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के 80 प्रतिशत से अधिक भू-भाग पर वर्तमान में भाजपा व एनडीए गठबंधन की सरकारें हैं, जो देश की जनता के विश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं. यह केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि भाजपा के आगामी विजय अभियान का मजबूत आधार है.

यह बात उन्होंने मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंडल व जिला प्रशिक्षण वर्ग की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कही. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मप्र भी समान नागरिक संहिता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल होगा.

प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि मप्र के 62 संगठनात्मक जिलों एवं 1313 मंडलों में शत-प्रतिशत प्रशिक्षण वर्ग सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है. प्रशिक्षण को जब हम जीवन, व्यवहार और आचरण में उतारते हैं तो समाज को उसका वास्तविक लाभ मिलता है. प्रशिक्षण हमारी पार्टी की सतत चलने वाली कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है. मप्र के सभी जिलों में प्रत्येक दो माह में नियमित रूप से कोर कमेटी की बैठकें आयोजित की जा रही हैं.

स्टेशन मास्टर एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन

जबलपुर, 16 जून. ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन ने भारतीय रेलवे के समस्त 69 डिवीजनों में अभूतपूर्व एकजुटता और अनुशासन के साथ अपनी चार प्रमुख मांगों को लेकर ऑन-ड्यूटी बैज लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि स्टेशन मास्टरों की आवाज़, उनका संकल्प और उनका अधिकार है। इसी क्रम में जबलपुर रेलवे स्टेशन स्थित डिप्टी एसएस कार्यालय में भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ए आर पाल, जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन ने बताया कि सभी साथियों ने एक स्वर में प्रशासन को यह स्पष्ट संदेश दिया कि अब समय आ गया है इन मांगों का त्वरित और ठोस समाधान किया जाए। यदि उनक मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन और तेज किया जायेगा.

नीट परीक्षा को लेकर सरकार अलर्ट

सीएम ने नीट की तैयारियों को लेकर वीसी के जरिए की बैठक

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल,16 जून. नीट परीक्षा को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. इसे लेकर राज्य सरकार कितना अलर्ट है, इसे इस बात से ही समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तीन दिन के भीतर दूसरी बार इस मामले में बैठक की. मंगलवार को एक बार फिर उन्होंने वीसी के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा की, शनिवार को भी उन्होंने कलेक्टरों से वीसी के माध्यम से तैयारियों का फीडबैक लिया था.

इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नीट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है. इसके लिए सभी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली जाएं. बेहतर प्रबंधन एवं कार्य कुशलता से पूरी पारदर्शिता के साथ यह परीक्षा सम्पन्न करायें. उन्होंने कहा कि परीक्षा आयोजन में किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि न रहे। परीक्षा कराने में संलग्न सभी अधिकारी-कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का पालन करें. नीट परीक्षा-2026 अब 21 जून को होगी. यह परीक्षा प्रदेश के 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों में सम्पन्न कराई जाएगी. नीट परीक्षा की कुल अवधि सवा तीन घंटे की होगी. इस बार सभी परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नीट परीक्षा के समन्वयक उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी परीक्षा केन्द्रों में लगाई जाने वाली बायोमैट्रिक मशीन, सीसीटीवी कैमरे एवं जैमर 19 जून को ही परीक्षा केन्द्रों में लगा दिए जाएं और 20 जून को इनका ट्रायल रन भी कर लिया जाए.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 21 जून को राष्ट्रपति महोदया का जबलपुर प्रवास प्रस्तावित है. जबलपुर शहर में 24 केंद्रों में नीट परीक्षा होनी है. प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी यातायात का ऐसा प्रबंधन करें कि सभी परीक्षार्थी बिना किसी बाधा के अपने-अपने परीक्षा केंद्रों में सुगमता से पहुंच जायें. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि चूंकि नीट परीक्षा के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में भी होने हैं, इन आयोजनों के कारण परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई कठिनाई न हो. यातायात का बेहतर नियोजन करें. सुनिश्चित करें कि सभी परीक्षार्थी तय समय से पहले तक केन्द्रों में पहुंच जायें. किसी परीक्षार्थी को यदि सेंटर तक पहुंचने में आवागमन के साधन की परेशानी आ रही है तो प्रशासन और पुलिस अधिकारी किसी शासकीय वाहन या खुद अपने वाहन से उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में सहयोग करें.

नीट परीक्षा - 2026 मप्र के 30 जिलों के 283 परीक्षा केन्द्रों में होगी. यह परीक्षा इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर, छिंदवाड़ा, बैतूल, भिंड, बालाघाट, अशोकनगर, छतरपुर, रतलाम, बड़वानी, खरगौन, धार, खंडवा, नर्मदापुरम, दमोह, दतिया, देवास, गुना, मंदसौर, मुरैना, नीमच, राजगढ़, सिंगरौली, विदिशा और सतना जिले में होगी.

मप्र पहुंचा नीट का पेपर

परीक्षा वाले जिलों के प्रशासन को किया आगाह

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने परीक्षा केंद्रों वाले सभी 30 जिलों के कलेक्टर्स-एसपी एवं परीक्षा सम्पन्न कराने की व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारियों को वीसी से निर्देशित किया कि नीट परीक्षा की तैयारियों के लिए उपयोग में लाई गई एसओपी अब प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं में उपयोग में लाई जाएगी. परीक्षा केन्द्रों वाले जिलों के पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य संबंधित अधिकारियों ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जुड़कर परीक्षा की अब तक की तैयारियों की जानकारी दी.

नीट के पेपर मप्र पहुंचे, दो बैंकों में सुरक्षित रखे

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा एवं जनसंपर्क अनुपम राजन ने परीक्षा की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा के प्रश्नपत्र प्रदेश के 5 एयरपोर्ट के जरिए पहुंच चुके है. प्रश्न पत्र एनटीए द्वारा तय किये गये 2 अधिसूचित बैंकों में सुरक्षित रखे गये हैं. परीक्षा के दिन वाहनों की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी. इन वाहनों की जानकारी शाम तक एनटीए को दे दी जाएगी. उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों में द्वि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी. बाहरी सुरक्षा परत राज्य पुलिस / होमगार्ड की होगी.

विद्यालय से नदारद रहे शिक्षक

नवभारत न्यूज

सरई 16 जून। जिले के देवसर विकासखंड अंतर्गत धौहनी ग्राम पंचायत के खाड़ीटोला स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की लापरवाही का मामला सामने आया है।

सोमवार की सुबह लगभग 10:45 बजे तक विद्यालय में एक भी शिक्षक उपस्थित नहीं था। ग्रामीणों ने इस स्थिति का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसके बाद स्थानीय शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षकों की नियमित देरी और अनुपस्थिति का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। उनका कहना है कि जब शिक्षक समय पर विद्यालय नहीं पहुंचेंगे तो विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित होना स्वाभाविक है। ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों से मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

एक वर्ष से बंद पड़ा हैंडपंप- ग्रामीणों के अनुसार विद्यालय परिसर का हैंडपंप लगभग एक वर्ष से खराब पड़ा हुआ है। पेयजल की व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चों को पानी पीने के लिए अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। बताया जा रहा है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा कई बार संबंधित विभाग को हैंडपंप खराब होने की सूचना दी गई, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं कराई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि विद्यालय जैसी मूलभूत संस्था में पेयजल की व्यवस्था तक नहीं हो पा रही है, तो शिक्षा व्यवस्था की स्थिति का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से तत्काल हस्तक्षेप कर शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने तथा बंद पड़े हैंडपंप की मरम्मत कराने की मांग की है।

हाईस्कूल दूसरी परीक्षा का परिणाम घोषित

- नामांकन में छात्र अधिक, पास प्रतिशत में छात्राओं का दबदबा

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 16 जून. माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश ने हाईस्कूल सर्टिफिकेट द्वितीय परीक्षा 2026 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं. जिसमें परीक्षा परिणामों में छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों की तुलना में काफी बेहतर है. मण्डल द्वारा जारी जानकारी के अनुसार नियमित और स्वाध्यायी दोनों ही श्रेणियों में छात्राओं ने सफलता का परचम लहराया है.

जिसमें प्रदेश भर में नियमित श्रेणी में कुल 1 लाख 44 हजार 788 विद्यार्थी पंजीकृत थे. जिनमें 82 हजार 613 छात्र और 62 हजार 174 छात्राएं शामिल रहीं. परीक्षा परिणाम के अनुसार कुल 58 हजार 608 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं. जिससे कुल पास प्रतिशत 40.47 रहा. वहीं छात्राओं का पास प्रतिशत 44.56 रहा, जबकि छात्रों का प्रतिशत 37.40 दर्ज किया गया. प्रथम श्रेणी में 13 हजार 344 द्वितीय श्रेणी में 44 हजार 584 और तृतीय श्रेणी में 680 विद्यार्थी सफल रहे. इस श्रेणी में कुल 86 हजार 176 विद्यार्थी असफल रहे.

स्वाध्यायी परीक्षार्थियों में भी लड़कियों ने मारी बाजी

स्वाध्यायी श्रेणी में कुल 33 हजार 139 परीक्षार्थी पंजीकृत थे. जिनमें से 33 हजार 130 ने परीक्षा दी थी. वहीं इस वर्ग में कुल 9 हजार 590 विद्यार्थी सफल रहे और पास प्रतिशत 28.94 दर्ज किया गया. बता दें यहां भी छात्राओं ने बाजी मारते हुए 31.56 प्रतिशत सफलता प्राप्त की. जबकि छात्रों का पास प्रतिशत 27.06 रहा. स्वाध्यायी वर्ग में प्रथम श्रेणी में 128 द्वितीय श्रेणी में 3 हजार 455 और तृतीय श्रेणी में 6 हजार 7 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए

भोज विश्वविद्यालय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाएं शुरू

चितरंगी 16 जून। शासकीय जगन्नाथ सिंह स्मृति महाविद्यालय चितरंगी में संचालित भोज अध्ययन केंद्र क्रमांक 0807 में सत्र जून-जुलाई 2025-26 की स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। अध्ययन केंद्र के संयोजक डॉ. योगेश कुमार तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्नातकोत्तर पीजी की परीक्षाएं 16 जून से तथा स्नातक यूजी की परीक्षाएं 25 जून से आयोजित होंगी। इन परीक्षाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विज्ञान एवं कला संकाय में पंजीकृत विद्यार्थी विभिन्न विषयों की परीक्षा देंगे। उन्होंने बताया कि परीक्षा से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए विद्यार्थी भोज अध्ययन केंद्र, चितरंगी महाविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। सभी परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण का आरोप

विशेष संवाददाता

भोपाल, 16 जून. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के व्यवस्थित निजीकरण का आरोप लगाते हुए कहा है कि इससे आम नागरिकों की पहुंच से सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं दूर होती जा रही हैं.

एक बयान में पटवारी ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिस्सों को निजी संस्थाओं के हवाले करने की प्रक्रिया तेज कर दी है. उनका आरोप है कि जिला अस्पतालों का संचालन 30 वर्षों तक के दीर्घकालिक प्रबंधन समझौतों के माध्यम से निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जबकि इससे न तो सरकार को कोई विशेष लाभ मिला है और न ही सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई सुधार दिखाई दिया है. उन्होंने तीन जिलों के स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल लागू करने के निर्णय की भी आलोचना की.

पटवारी का कहना है कि इस व्यवस्था से उपचार की लागत बढ़ेगी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक कठिन हो जाएंगी. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि निजी अस्पतालों में इलाज पहले से ही अत्यधिक महंगा है और सामान्य बीमारियों के उपचार पर भी लोगों को बड़ी राशि खर्च करनी पड़ रही है. उन्होंने आशंका जताई कि यदि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को लगातार निजी प्रबंधन के अधीन किया गया तो कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए भी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाना मुश्किल हो जाएगा.

पेज एक का शेष

गिरिबाला और समर्थ की न्यायिक हिरासत बढ़ी

अपने वकील से मुलाकात की समय अवधि बढ़ाने और बेटे समर्थ के साथ वकील से मुलाकात की मांग गिरिबाला सिंह ने कोर्ट से की है. इसके साथ ही कोर्ट को उन्होंने बताया कि जेल के अंदर उन्हें जो भी अखबार पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं. उन अखबारों में ट्विशा मामले में होने वाली जानकारियां काट कर ही उन्हें पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं. ट्विशा के मायके पक्ष के लोगों को मीडिया में दिए जा रहे बयान से बचने की सलाह भी गिरिबाला सिंह ने दिए हैं.

सीबीआई की टीम ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़े मामले की जांच में जुटी है. सामने आए साक्ष्यों के आधार पर ही सीबीआई कड़ियां जोड़ते हुए जांच को आगे बढ़ा रही है. ट्विशा के शव के दूसरे पीएम रिपोर्ट को जांच के इस मामले में बेहद ही अहम माना जा रहा है. बता दें कि ट्विशा शर्मा की मौत का मामला हुए एक महीने से अधिक का समय हो गया है. 12 मई को ट्विशा को कटारा हिल्स स्थित मकान में फंदे से लटकता देखा गया. ट्विशा को अस्पताल ले जाने पर ड़ाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. ट्विशा के पिता सहित मायके पक्ष के लोगों ने सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह के साथ वकील पति समर्थ सिंह पर गंभीर आरोप लगाए. सीबीआई मामले की जांच में जुटी है.

माड़ा वन परिक्षेत्र में अवैध साल कटाई पर बड़ी कार्रवाई

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 16 जून। माड़ा वन परिक्षेत्र में वन संपदा के अवैध दोहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वन विभाग को महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

विभागीय टीम ने जंगल क्षेत्र में अवैध रूप से साल वृक्ष की कटाई कर लकड़ी तैयार कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से साल की तीन पटरियां जप्त की हैं। कार्रवाई के बाद आरोपी के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन विभाग की गश्ती टीम को नियमित भ्रमण के दौरान वन क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। इस दौरान एक व्यक्ति साल वृक्ष की लकड़ी काटकर उसे परिवहन के लिए तैयार करते हुए पाया गया। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया और मौके से लकड़ी जप्त कर ली। वन अधिकारियों ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी अकेले कार्य कर रहा था या किसी संगठित लकड़ी तस्करी गिरोह से जुड़ा हुआ है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध कटाई और वन अपराधों के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उप वन मंडला अधिकारी एनके त्रिपाठी ने खबर की पुष्टि की है।

बरगवां को मिली आधुनिक तहसील भवन की सौगात

- विधायक राजेंद्र मेश्राम ने किया लोकार्पण, बेहतर प्रशासनिक सेवाओं का जताया भरोसा

नवभारत न्यूज

बरगवां 16 जून। देवसर विधानसभा क्षेत्र के बरगवां में स्थित नवीन संयुक्त तहसील भवन का सोमवार को विधिवत पूजा-अर्चना के साथ लोकार्पण किया गया।

देवसर विधायक राजेंद्र मेश्राम ने फीता काटकर एवं पूजा-अर्चना कर भवन का शुभारंभ किया तथा इसे क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित नागरिकों, प्रबुद्धजनों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से संवाद करते हुए क्षेत्र के विकास, जनसुविधाओं के विस्तार और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर चर्चा की। विधायक ने कहा कि नवीन संयुक्त तहसील भवन क्षेत्र के लोगों को एक ही स्थान पर राजस्व एवं अन्य प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे आमजन को विभिन्न कार्यों के लिए अनावश्यक भटकना नहीं पड़ेगा तथा सेवाएं अधिक सुगम, त्वरित और प्रभावी ढंग से मिल सकेगी। इस अवसर पर एसडीएम सौरभ मिश्रा, तहसीलदार दीपेंद्र सिंह तिवारी, सीएमओ अमित सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।

मप्र विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 16 जून. मप्र विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से आहुत किया गया है. पांच दिनी सत्र 24 जुलाई तक चलेगा.

विधानसभा सचिवालय ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. इस दौरान महत्वपूर्ण शासकीय कार्य संपादित किए जायेंगे. इस हेतु विधानसभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 24 जून तथा अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 9 जुलाई तक प्राप्त की जाएगी, जबकि स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, नियम 267 - क के अधीन सूचनाएं विधानसभा में 14 जुलाई से कार्यालय में पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 तक प्राप्त किए जाएंगे.

एनसीएल में स्वच्छता पखवाड़ा का हुआ शुभारंभ

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 16 जून। भारत सरकार की मिनीरत्न कंपनी एनसीएल में स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ हुआ। एनसीएल में यह पखवाड़ा 16 जून से 30 जून तक मनाया जा रहा है।

इस अवसर पर एनसीएल मुख्यालय में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में एनसीएल निदेशक, आशुतोष द्विवेदी मुख्य सतर्कता अधिकारी, अजय कुमार जायसवाल एवं जेसीसी के श्रमिक संगठनों से प्रतिनिधि सीएमएस से अजय कुमारए बीएमएस से श्यामधर दुबे, आरसीएसएस से लाल पुष्पराज सिंह, एचएमएस से अशोक कुमार पांडेय, मुख्यालय के विभिन्न विभागों से महाप्रबंधकगण, विभागाध्यक्ष एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित सभी ने स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने, नियमित श्रमदान करने, कार्यस्थलों एवं सार्वजनिक स्थलों पर साफ-सफाई बनाए रखने, दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करने तथा प्रत्येक सप्ताह दो घंटे स्वैच्छिक श्रमदान करने की शपथ ली। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत एनसीएल की सभी परियोजनाओं एवं इकाइयों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विविध जागरूकता एवं सहभागितापरक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला- सतना (म.प्र.)

क्रमांक/प्रवा./अपर कले./26 सतना दिनांक 02/06/2026

// सार्वजनिक सूचना //

विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 6 के तहत

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रमेश कुमार पटेल पिता श्री रज बहादुर पटेल उम्र-34 वर्ष, (10/06/1991) स्थिति-अविवाहित व्यवसाय-प्राईवेट नौकरी, स्थायी निवासी-जेल रोड हनुमान मंदिर नई बस्ती, थाना-कोलगवां तहसील-रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.) पिनकोड-485005 एवं आवेदिका सोनाली जायसवाल पिता श्री विमलेश जायसवाल उम्र-27 वर्ष (01/01/1999), स्थिति-अविवाहित व्यवसाय-प्राईवेट नौकरी स्थायी निवासी-वार्ड नम्बर-23 गली नंबर-03, इलाहाबाद बैंक के पीछे, हर प्रसाद कबाड़ी के बगल में, संग्राम कालोनी थाना-कोलगवां तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.) 485001 के द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 के अंतर्गत विशेष विवाह अनुष्ठापन हेतु आवेदन दिनांक 27/05/2026 को प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रस्तावित विवाह अनुष्ठापन के विरुद्ध यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह आपत्ति लिखित रूप में इस न्यायालय में दिनांक 06/07/2026 को या इसके पूर्व न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 02/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

अपर कलेक्टर
एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला-सतना (म.प्र.)

Presiding officer: (पूनम सिंह)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड देवसर, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम
सक्सेशन प्रकरण क्रमांक (mjc suc) 04/25
रघुराज सिंह आवेदक Vs
हम आम खास जनता I.D.B.I बैंक अनावेदक
process ID 54/26
पेशी दिनांक: 18-06-2026

प्रेषिती- (1) हम आम खास जनता पता- सिंगरौली म.प्र. (2) आम जनता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक पता ने मृतक पंचम सिंह S/O दलभम्हन सिंह गोड़ सा-पिड़रवाह पो. बंधा थाना व तह. सरई के जिला सिंगरौली म.प्र. राशि/ संपति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनाँक 18-6-2026 को नियत है यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 18-06-2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें सूचना उपरांत, यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवायी एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

आज यह तारीख 15-6-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा

टिप्पणी:- संमस कृपया ध्यान दें:-
1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

(पूनम सिंह)
न्यायाधीश
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड देवसर, जिला सिंगरौली (म.प्र.)

(FOR CHANGE OF NANE OF WIDOWS OF DECEASED SOLDIER AND CHANGE OF NAME OF WIVES OF VETERANS AND SERVING SOLDIERS)

I **NARBADYA DEVI** (Existing Name of spouse as per change of Next of Kin Record/Service Document), Spouse of No **13921648** Ex **NK/DVR** Name **RAM KHELAWAN** (Name of husband) resident of **HOUSE NO 233, WARD 23 MAHURACHH HOUSE GALI nO 2 SANGRAM COLONEY, RAGHURAJNAGAR, SATNA MADHYA PRADESH- 485001** (Adress) have changed my Name from NARBADYA DEVI (Existing Name of spouse as per change of Next of kin Record/Service Documents) to NAR VADIYA DEVI (proposed/adopted New Name) vide Affidavit dated 15.06 26. before satna

कार्यालय प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मैहर जिला मैहर (म.प्र.)

Ph. No. 07674-299073 CBSE AFFI. No-1020027
Email - emrsmaihar@gmail.com SCHOOL CODE-52027 DISE CODE-23130217805
क्रमांक/ई.एम.आर.एस./2026-27/ 145 मैहर, दिनांक 16-06-26

निविदा आमंत्रण सूचना

सत्र 2026-27 के माह जून 2026 से अप्रैल 2027 तक के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मैहर हेतु सब्जी एवं फल के लिए अधिकृत पंजीकृत डीलर/निर्माता/आपूर्तिकर्ता/कम्पनियों से मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है।

निविदा दस्तावेज/प्रपत्र दो रूपये प्रति कॉपी के हिसाब से प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मैहर के कार्यालय से दिनांक 18/06/2026 से 29/06/2026 अपराह्न 04.00 बजे तक कार्यालयीन दिवस में खरीदा जा सकता है। सीलबंद निविदायें भौतिक रूप से या पंजीकृत डाक /स्पीड पोस्ट द्वारा भी भेजी जा सकती है। निर्धारित तिथि समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया आयेगा। निविदायें क्रय समिति के समक्ष दिनांक 30/06/2026 को प्रातः 11.00 बजे प्राचार्य के कार्यालय कक्ष में खोली जायेंगी। स्थानीय डीलर/आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

अधोहस्ताक्षरकर्ता/क्रय समिति किसी भी निविदा को आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रखते है।

प्राचार्य
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मैहर
जिला-मैहर म0प्र0

CENTRUM Home Loans
Aao milkar ghar banaye

कॉर्पोरेट एवं रजिस्टर्ड ऑफिस: यूनिट नं. 801, सेन्ट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई- 400098,
CIN No. U65922MH2016PLC273826

डिमांड नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पढ़ा जाए

नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं. प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता/ओं (उक्त उधारकर्ता) को उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस/ओं में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दी गई हैं. उपरोक्त के संबंध में, उक्त उधारकर्ता को एक बार फिर से नोटिस दिया जाता है कि वह इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर, नीचे दर्शाई गई राशियों को, बकाया राशि के पूर्ण पुनर्भुगतान की तिथि तक ब्याज और अन्य शुल्कों सहित सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को चुकाए. जैसा कि उक्त डिमांड नोटिस में विस्तृत रूप से बताया गया है, नीचे उल्लिखित तिथियों से लेकर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक, उक्त उधारकर्ताओं द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ ऋण समझौते के तहत देय है. ऋण की उचित चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित परिसंपत्तियों को क्रमशः उक्त उधारकर्ताओं द्वारा सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को गिरवी रखा गया है.

क्र.	ऋण खाता संख्या/ उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटर का नाम	कुल बकाया राशि (रु.)	एनपीए तिथि / सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि / एफसीएल तिथि	सिक्योर्ड एसेट्स (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	JLRRE23010537 / मिथिला गुप्ता (स्वर्गीय राजेश चंद गुप्ता की कानूनी वारिस) राजेश चंद गुप्ता	रुपये 1,19,704.00 (रु. एक लाख उन्नीस हजार सात सौ चार मात्र)	06-05-2026 09-06-2026 09-06-2026	खसरा संख्या 202/3/17, क्षेत्रफल 850 वर्ग फुट, वार्ड संख्या 15, मौजा-रताहरी, एडमि. संख्या 541, सार्वजनिक आवास संख्या समन-32, तहसील हुजूर, जिला रीवा-486001, मध्य प्रदेश स्थित अचल संपत्ति के अधिकार, भाग और अंश में. सीमाएँ- पूर्व- जगजाहिरलाल तिवारी का भूखंड, पश्चिम- विक्रेता की शेष भूमि, उत्तर- विक्रेता की शेष भूमि, दक्षिण- विक्रेता द्वारा प्रस्तावित 20 फीट चौड़ी सड़क .

यदि उक्त उधारकर्ता सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अधिनियम की धारा 13 (4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से लागत और परिणामों के रूप में उक्त उधारकर्ताओं के जोखिम पर होगी. उक्त उधारकर्ताओं को अधिनियम के तहत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है. कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा.

स्थान: मध्यप्रदेश
तिथि: 17/6/2026

हस्ता./.
अधिकृत अधिकारी
कृते सेंट्रम हाउसिंग फायनेंस लि.